ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 282-286

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर कानून

सुजीत कुमार यादव
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
नेजाती सुभाषचन्द्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवगाँव, आजमगढ़ (उ. प्र.), भारत

Received- 19.07.2020, Revised- 21.07.2020, Accepted - 23.07.2020 E-mail: hemantkumarasthana1955@gmail.com

सारांश : ***अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, जन्म–स्थान अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाना।, अनुच्छेद 15(3) – महिलाओं के हित में विशेष उपबन्ध का निर्माण किया जाना।, अनुच्छेद 16 – लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना।, अनुच्छेद 19 – समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।, अनुच्छेद 21 – प्राण एवं दैहिक सत्ताधिनता से वंचित न किया जाना।, अनुच्छेद 23 – क्रय–विक्रय एवं बलात् श्रम से संरक्षण।, अनुच्छेद 39 – समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना।, अनुच्छेद 40 – पंचायती राज संस्थाओं में 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा 33: आरक्षण।, अनुच्छेद 42 – महिलाओं हेतु पोषाहार तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपलब्ध करना।, अनुच्छेद 51(क)(ड) – स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।, अनुच्छेद 304(ख) – दहेज मृत्यु के लिए दण्ड (आजीवन कारावास एवं जुर्माना)।, अनुच्छेद 313 – स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात पारित करना (दस वर्ष का कारावास और जुर्माना)।, अनुच्छेद 363 – अपहरण के लिए दण्ड (सात वर्ष का कारावास और जुर्माना)।, अनुच्छेद 354 – स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (या) आपराधिक बल–प्रयोग (दो वर्ष का कारावास तथा जुर्माना)।, अनुच्छेद 372 – वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन हेतु अप्राप्तवय को बेचना (दस वर्ष का कारावास एवं जुर्माना)।, अनुच्छेद 376 – बलात्कार के लिए दण्ड (दस वर्ष का कारावास एवं जुर्माना)।, अनुच्छेद 498 – विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से ले जाना या निरुद्ध रखना (दो वर्ष का कारावास एवं जुर्माना)।, अनुच्छेद 509 – लैंगिक प्रताड़ना (एक वर्ष का कारावास एवं जुर्माना)।***

कुंजीभूत शब्द– संशोधन, आरक्षण, अनुच्छेद, महिलाओं, स्वास्थ्य, सुधार, दण्ड, कारावास, जुर्माना, क्रय–विक्रय।

कुछ अन्य कानून –

1. सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1829
2. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
3. बाल विवाह रोक अधिनियम, 1929
4. मुस्लिम तलाक अधिनियम, 1939
5. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
6. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
7. हिन्दू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट, 1955
8. इमोरल ट्राफिक (प्रीवेंशन) एक्ट, 1956
9. उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
10. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, 1985
11. मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971
12. द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986
13. कमीशन ऑफ सती (प्रीवेंशन) एक्ट, 1987
14. प्री–नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक (रेग्यूलेशन एवं प्रिवेंशन ऑफ मिस्यूज) एक्ट, 1994
15. घरेलू हिंसा बिल 2005.

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान – महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान तथा अधिकारिता के लिए विभाग द्वारा महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(क) रोजगार तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम – यह कार्यक्रम 1986–87 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाना है।

(ख) स्वावलंबन – 1982–83 में इसे शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परम्परागत और गैर परम्परागत धंधों का प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें टिकाऊ आधार पर रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करना है।

(ग) स्वयं सिद्धा – यह महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। यह योजना महिलाओं को स्वयं सहायता समूह संगठित करने पर आधारित है।

(घ) स्वशक्ति – यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित है, जो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से संचालित की जाती है। यह परियोजना भी स्वयं सहायता

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

समूह बनाने पर जोर देती है।

(ङ) स्वाधार – 2000–02 में केन्द्र सरकार ने नई योजना 'स्वाधार' शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में भोजन कपड़ा आवास स्वास्थ्य देखभाल परामर्श व्यवस्था शामिल है।

(च) अल्पावधि प्रवास गृह – 1969 में यह परियोजना शुरू की गई थी। अप्रैल 1999 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को यह सौंप दिया गया। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतन के खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण देना एवं उसका पुनर्वास करना।

(छ) महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति – 20 मार्च 2001 को यह नीति लागू की गई। इसका उदेश्य महिलाओं की प्रगति विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर उनकी खुली भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(ज) महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार रोकने के उपाय – इसे रोकने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण अधिनियम 1986) बनाया गया। महिला व बाल विकास विभाग ने महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार और यौन उत्पीड़न से निपटने हेतु 1998 में राष्ट्रीय कार्यवाही योजना बनाई। इसका उद्देश्य दुराचार की शिकार महिलाओं तथा बच्चों को फिर से समाज के मुख्यधारा से जोड़ना है।

(झ) राष्ट्रीय महिला आयोग – यह 1990 के तहत गठित की गई। यह संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा से संबंध प्रावधानों की समीक्षा करता है।

(ञ) राष्ट्रीय महिला कोष – समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 30 मार्च 1993 को गठित इस संस्था का लक्ष्य गरीब महिलाओं को उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु ऋण उपलब्ध कराना है।

(ट) राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल–विकास संस्थान – नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान एक स्वायत्त संगठन है। यह महिला व बाल विकास के कार्यक्रमों तथा नीतियों पर अमल करना तथा उन्हें बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्यों के लिए सरकार तथा स्वयंसेवी एजेंसियों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है।

(ठ) भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष डॉ० दुर्गाबाई देशमुख के नाम से महिला विकास एवं कल्याण हेतु पुरस्कार शुरू किया गया है।

(ड) घरेलू हिंसा बिल 2005 – इसमें पहले से उपलब्ध 'महिलाओं के प्रति हिंसा' को और विस्तार दिया गया है, जिसमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक हिंसा को पुनर्भाषित किया गया है तथा इसको आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में रखा गया है।

(ढ) सुकन्या समृद्धि योजना – यह बालिकाओं के समृद्धि हेतु उत्तम जीवन बीमा पालिसी है, जो भारत सरकार द्वारा महिलाओं हेतु चलाई जा रही है।

(ण) वूमेन पावर लाइन 1090 – अगर कोई मनचला रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मार्केट, रास्ते में आदि जगहों पर या फोन पर अभद्रता पूर्ण व्यवहार महिलाओं से करता है तो इसकी शिकायत महिलाएं वूमेन पावर लाइन 1090 पर कर सकती हैं। उनकी शिकायत के आधार पर उचित कार्यवाही की जाती है।

(त) बालिका पढ़ाओ बालिका बचाओ – यह सरकार द्वारा बालिकाओं के शिक्षा– स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसके तहत बालिकाओं को पढ़ने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई।

महिलाओं के खिलाफ अपराध – महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शामिल है– बलात्कार, दहेज हेतु उत्पीड़न, छेड़छाड़, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपहरण, लड़कियों तथा महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार, भ्रूण हत्या या शिशु हत्या आदि।

आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में प्रतिदिन बलात्कार के 41 मामले दर्ज होते हैं, 19 महिलाओं की दहेज हत्या होती है, 31 का अपहरण होता है, 313 यौन उत्पीड़न का शिकार होती है और 64 से छेड़छाड़ की जाती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या सालाना दो लाख पहुंच गई है। भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 3 लाख 37 हजार 922 (3,37,922) मामले दर्ज किए गए। जबकि 2013 में यह आंकड़ा 3,09,546 था। इस तरह अपराध में 2013 की अपेक्षा 2014 में 9.2: की वृद्धि हुई।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध की प्र.ति को निम्न प्रकार से वर्गी.त किया जा सकता है –

1. दहेज हत्या – शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब समाचार पत्रों में दहेज उत्पीड़न या दहेज हत्या का कोई मामला प्रकाश में न आता हो। प्रतिवर्ष 15,000 से ज्यादा औरतें दहेज के नाम पर सताई जाती हैं और औसतन 6–7 हजार औरतें प्रत्येक साल दहेज हत्याओं की शिकार बनाई जाती है। वर्ष 2014 में दहेज हत्या के 8,455 मामले सामने आए थे। जाहिर है यह सिर्फ वही है जो

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

पुलिस थाने तक जाने की हिम्मत जुटा पायीं। वस्तुतः आज दहेज के नाम पर पैसा वसूलना धंधा बन चुका है। दहेज तथा उसके लिए उत्पीड़न को रोकने हेतु कई कानून भारत में विद्यमान हैं। 1961 में दहेज प्रतिरोध कानून पारित किया गया। दहेज लेने या देने वाले को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 302 तथा 304(B) भी दहेज के कारण हत्या से मृत्यु का प्रयास से संबंधित है।

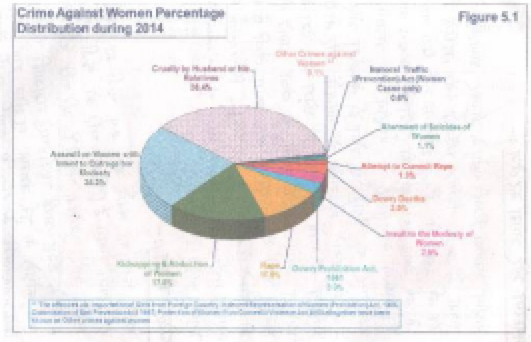

इस प्रकार के उत्पीड़न का शिकार अधिकांशत कामकाजी महिलाएं होती है। लैंगिक दुर्व्यवहार की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित जगह दिल्ली है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में महिलाओं के शील के आघात को संज्ञेय अपराध माना गया तथा इसके लिए दो वर्ष का कारावास तथा आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस सबके बावजूद ऐसी हरकतों को या तो दर्ज नहीं किया जाता या कराया नहीं जाता। जहां पुलिस इन मामलों को सामान्य कहकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, वहीं कुछ महिलाएँ अपने भविष्य तथा परिवार के मर्यादा को दृष्टिगत कर छुपा लेती है।

3. बलात्कार – राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 में बलात्कार के 36,737 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर रोज बलात्कार के 41 मामले दर्ज होते हैं और बलात्कार की 57: घटनाएं 18 से 30 वर्ष के बीच की महिलाओं तथा 16.3:ए 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़कियों में दर्ज की गयी है। चौंकाने वाली बात यह है कि 91: मामलों में बलात्कारी जान– पहचान वाले थे। बलात्कार जैसे अपराध को रोकने हेतु भारतीय दण्ड संहिता में कई कानून है पर उसका अनुपालन अन्य विधियों के समान निम्न गति से होता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 दोषी को कठिन दण्ड का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि बलात्कार जैसे अपराध में परिपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। हाल के दिनों में बलात्कारी को मृत्युदण्ड देने की माँग की जा रही है।

4. कन्या भ्रूण हत्या तथा शिशु हत्या – भारत में पुरुष–महिला अनुपात में 57 का अंतर (1000 : 943) जो यह बताता है कि बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या का धंधा कितना प्रखर है। भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कई कानून बनाए गए हैं। इस दशा में सर्वप्रथम प्रयास महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। 80 के दशक में जब अल्ट्रासाउंड मशीनों का आगमन हुआ और अल्ट्रासाउंड क्लीनिक अपना विज्ञापन छपवाने लगे कि '500 रुपये में लड़की की शादी से झटपट मुक्ति पाइये' इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा भी इस दिशा में पहल की गई और 1994 में 'प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट' बनाया गया तथा 1996 से लागू हुआ। इसके तहत लिंग निर्धारण को बताने वाले क्लीनिक या चिकित्सकों के जुर्म साबित हो जाने पर 3 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना तक का प्रावधान किया गया है।

5. अपहरण और अगवा कर लेना – राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अपहरण और अगवा के प्रमुख निशाने महिलाएं और लड़कियां होती हैं। वर्ष 2014 में 57,311 मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2013 (51,881) की तुलना में 10.5: अधिक है। लड़कियों का व्यापार भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर होता है। बांग्लादेश और नेपाल से हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां विभिन्न सीमाओं से भारत में प्रवेश कर देश के विभिन्न भागों में देह व्यापार का धंधा चलाने को मजबूर होती है। अपहरण तथा अगवा जैसी घटनाओं को रोकने हेतु (Immoral Traffic Prevention Act) rFkk (Indecent Re-presentation of Woman Act) प्रमुख कानून है।

6. घरेलू हिंसा – घरेलू हिंसा का सबसे बर्बर रूप पत्नी का पति द्वारा पीटा जाना है। जिस पति को पत्नी अपना सर्वस्व और परमेश्वर मानती है, वही पति छोटी–छोटी बातों के लिए अपनी पत्नी पर तानाशाही दिखाता है। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा द्वारा कथित बदचलनी के शक में अपनी पत्नी नैना की गोली मारकर उसका शव एक रेस्टोरेंट्स के तंदूर भट्टी में जला दिया गया। इससे क्रूरतम घटना शायद ही देखने को मिले।

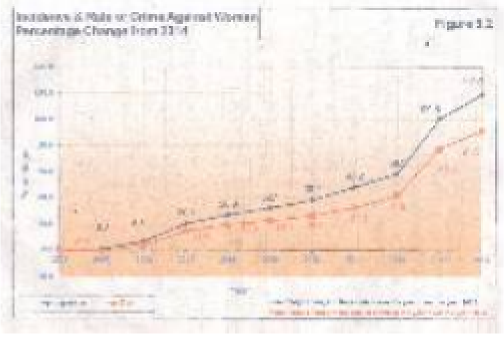

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अन्य रूप – उपरोक्त हिंसाओं के अलावा अन्य कई प्रकार के अपराध हिंसा महिलाओं के खिलाफ देखे जाते हैं। डकैती जैसी घटनाओं के प्रमुख शिकार सामान्यतः महिलाएं होती हैं। क्योंकि वे अपने आभूषण घर में ही रखती हैं। इसलिए डकैती प्रायः उसी समय अंजाम दिया जाता है, जब महिलाएँ घर में अकेली होती है। एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक पाँच हत्याओं में एक महिला होती है। व्यक्तिगत संपत्ति, संपत्ति विवाद, गुप्त प्रेम आदि हत्या के प्रमुख कारण हैं।

महिला सशक्तिकरण में सामाजिक विधान की भूमिका का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन – भारत में ब्रिटिश काल को लेकर अब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक संवैधानिक तथा सामाजिक विधानों के स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इसके साथ–साथ अनेकों कल्याणकारी योजनाएँ भी चलाई जाती हैं। फिर भी देखा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, अपराध, दहेज हत्या, बलात्कार आदि समस्याएँ सुलझने की बजाय और बढ़ रही हैं। अगर भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले सालों के रिपोर्ट के आंकड़ों को देखा जाए तो सन 2010 में बलात्कार के 22,172 तथा सन् 2011 में 24,206 साल 2012 में 24,923 सन 2013 में 33,707 तथा सन 2014 में 36,735 मामले दर्ज किए गए।

वही अपराध एवं महिलाओं को अगवा करने के आंकड़े निम्न है–

– सन 2010 में 29,795; सन 2011 में 35,565; सन 2012 में 38,262; सन 2013 में 51,881 और सन 2014 में 57,311 मामले दर्ज किए गये।

– दहेज हत्या के आँकड़ों में भी प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। दहेज हत्या के मामले में रिपोर्ट के अनुसार सन 2010 में 8,391; सन 2011 में 8,618; सन 2012 में 8,233; सन 2013 में 8,083; सन 2014 में 8,455 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए।

– अगर भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ अपराध के रिपोर्ट को देखा जाए तो वह निम्नवत् है –

– सन 2010 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,05,009; सन 2011 में 2,19,142; सन 2012 में 2,32,528; सन 2013 में 2,95,896 और सन 2014 में 3,25,329 मामले में महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए।

– इस भारतीय रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हर वर्ष तीव्र गति से बढ़ ही रहे हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितने भी सामाजिक विधान बनाए गए हैं और जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका आशातीत प्रभाव नहीं पड़ पाया है। इसके कई कारण हैं जितने भी कानून बनाए गए हैं, वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं है और कानूनों के संबंध में लोगों को पूरी जानकारी भी नहीं है।

अभी भी समाज पर धर्म, परम्पराओं तथा पुरुष अधिकार आदि का प्रभाव है। यही कारण है कि 65–70 वर्षों में जितना विकास या स्थिति में सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। महिलाओं हेतु अभी तक निर्मित सामाजिक विधान पूर्णता प्रभावशाली नहीं साबित हुए हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु कुछ सुझाव –

1. महिलाओं को अधिकारिता एवं आर्थिक स्वावलंबन प्रदान किया जाए।
2. महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया जाए।
3. विवाह पूर्व निर्णय लेने की छूट प्रदान की जाए।
4. स्तेय की अभिरुचि के अनुसार घूमना, कपड़े पहनना, वर चुनना, शिक्षा, चाल–चलन, रोजगार आदि की जानकारी।
5. शिक्षित तथा अशिक्षित महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि आर्थिक सशक्तिकरण के साथ–साथ उनकी सामाजिक उन्नति भी हो सके।
6. स्त्री–पुरुष के बीच समानता को मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाए। नीति संबंधी व्यापक सुधारों और मजबूत सकारात्मक कार्यवाही द्वारा उनकी समस्याओं को दूर किया जाए।

निष्कर्ष – महिला सशक्तिकरण हेतु आजादी के पहले तथा बाद में किए गए प्रयास भले ही अधूरे हो पर भारतीय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मामलों में जो अधिकारिता प्राप्त हुई है, उसी के परिणामस्वरूप आज राशि स्तर पर महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज कराई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए स्वावलंबन 21वीं सदी के शुरुआत में भारत में सन 2007 वर्ष को महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया। सवाल यह उठता है कि उनके लिए ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं कि देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में कमी लाई जा सके। शिक्षा के अभाव के कारण जिन महिलाओं को सशक्त होना है अभी वह स्वयं भी सशक्त होने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई जानी चाहिए। महिलाएँ अभी भी पुरुषवादी सोच और अंधविश्वासों में जकड़ी हुई है। सशक्तिकरण की सबसे बड़ी शर्त है– चेतना, स्वावलंबन और निज की पहचान है, इसके बिना महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है।

स्वावलंबन उन्हें इन बेड़ियों से युक्त होने का

PIF/5.002 *ASVS* *Reg. No. AZM 561/2013-14*

आधार देता है। इसलिए स्त्री सशक्तिकरण की तरफ अगर कोई ठोस कदम उठाया जा सके तो वह होगा– शिक्षित या अशिक्षित महिलाओं के योग्यता अनुसार रोजगार मुहैय्या कराना। स्वावलंबन से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और उन्हें शोषण से बचाया जा सकता है लेकिन उसके लिए औरतों को अगुवाई करनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Altekar, A.S. : The position of Women in Hindu civilization from pre-histonic times to the present day, Banaras, Motilal Banarasidas, 1956.
2. Civil Services Chronical, September, 2010.
3. Dharmendra - Sociology, TMH, Publication, 2010.
4. National Crime Record Bureau Report, 2014.
5. Pandey Tejaswar, Sangeeta - Bharat Mein Samajik Samasyayein, TMH Publication, 2015.

*****